न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2020/00185

मिसल नम्बर– 33/2019

1.मेहरूनिशा मन्सूरी पत्नी मरहूम अब्दुल रउफ मन्सूरी आयु 63 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बॉलीबाल ग्राउण्ड के पास, माचिस फैक्ट्री डडवाडा कोटा जंक्शन कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.रूबीना मन्सूरी पत्नी श्री अमन अलताफ आयु 30 वर्ष
2.अमन अल्ताफ आत्मज श्री रूस्तम खान आयु 32 वर्ष निवासीगण बॉलीबाल ग्राउण्ड के पास, माचिस फैक्ट्री डडवाडा कोटा जंक्शन कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/2/25

उपस्थितिः–

1.श्री वीरेन्द्र कुमार राठोर अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री जमील अहमद अंसारी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया बॉलीबाल ग्राउण्ड के पास, माचिस फैक्ट्री, डडवाड़ा, कोटा जंक्शन, कोटा पर निवास करती है तथा अप्रार्थीगण आपस में पति पत्नी है और प्रार्थीया की पुत्री व दामाद है। प्रार्थीया सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जो कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाली पेंशन राशि से स्वयं का जीवन–यापन व गुजर बसर कर रही है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु दिनांक 11.04.2019 को कैन्सर रोग से मृत्यु चुकी है। प्रार्थीया के दो पुत्रियां व एक पुत्र है और प्रार्थीया की दोनों पुत्रियां विवाहित है और बड़ी पुत्री नीलोफर मन्सूरी अपने परिवार सहित जयपुर में निवास कर रही है तथा छोटी पुत्री रूबीना मन्सूरी का निकाह जे०पी० कॉलोनी, कोटा में सन् 2011 में किया गया था, तब से ही वह अपने पति के स्वनिवास पर निवास करती चली आ रही थी। प्रार्थीया के पति के मरने के बाद वह अपने मकान में अकेली रह रही थी प्रार्थीया के पति के मरने के कुछ दिनों के पश्चात से ही प्रार्थीया की पुत्री रूबीना मन्सूरी व अमन अलताफ प्रार्थीया के मकान के उपर के पोरशन में आकर रहने गये कि प्रार्थीया अकेली रहती है और यदि अप्रार्थीगण उसके साथ निवास करेगें तो प्रार्थीया की अच्छी तरह से देखभाल हो सकेगी, किंतु प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीगण को अपने साथ रखने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया गया, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीया के मकान में निवास करने लगे और निवास

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करते हुये प्रार्थीया को तरह–तरह से प्रताडित करते है और जान से मारने की धमकियां देते है, उसकी पेंशन की राशि को भी छीन लेते है और अप्रार्थी नम्बर 2 के द्वारा प्रार्थीया के पुत्र को मादक पदार्थों की लत लगायी हुई है, जिसकी वजह से प्रार्थीया का पुत्र हमेशा मदहोशी में रहता है और उससे कोई भी अनुचित कार्य करवाया जा सकता है और प्रार्थीया का एकमात्र वारिस पुत्र होने के कारण उसकी जान को पूर्ण रूप से खतरा है। जिसके तहत प्रार्थीया ने अपने पुत्र को दादाबाड़ी स्थित नशा मुक्ति केन्द्र पर रखा हुआ है, जो कि जैर ईलाज है। अप्रार्थीगण एक राय होकर कभी भी प्रार्थीया अथवा उसके पुत्र को जान से खत्म कर सकते है, जिसके चलते प्रार्थीया रात्रि को अन्यत्र शयन करने के लिये जाती है क्योंकि अप्रार्थीगण उसे निरंतर रूप से जान से मारने की धमकियां दे रहे है। प्रार्थीया इस सम्बंध में पुलिस थाना भीमगंजमण्डी में कई बार शिकायतें भी कर चुकी है। किंतु कोई कार्यवाही. नहीं होने पर प्रार्थीया के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय, कोटा शहर को भी लिखित में दिनांक 22.10.2019 को परिवाद दिया, जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है। अप्रार्थीगण आपराधिक षडयंत्र रचते हुये तथा प्रार्थीया की मजबूरी व वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुये प्रार्थीया के स्वामित्वशुदा पर अवैध व अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुये प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा है, जिसकी वजह से प्रार्थीया को बैसहारों की भांति जीवन–यापन करना पड़ रहा है तथा प्रार्थीया का भविष्य व बुढ़ापा असुरक्षित हो गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को तंग व परेशान किया जा रहा है तथा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को कई बार समझाने का भी प्रयास किया, किंतु अप्रार्थीगण पर कोई असर नहीं हुआ है और उल्टे अंप्रार्थीगण, प्रार्थीया को नाजायज रूप से शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से तंग कर रहे है। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के उपरोक्त कृत्य के कारण काफी शारीरिक मानसिक व आर्थिक संकटो से गुजरना पड़ रहा है तथा अप्रार्थीगण उसे बात–बात पर ताने देते हुये रहते है और खाने के लिये भोजन आदि भी नहीं देते है और प्रार्थीया को जान से मारने पर आमादा है और कहते है कि तुम दोनों हमें चुपचाप हमें कब्जा नहीं सम्भलाओं तो हम तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल देगें । अब तुम्हारा इस मकान से कोई वास्ता नहीं है, इस मकान के हम ही मालिक है। प्रार्थीया 63 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिला है, प्रार्थीया सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आती है तथा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सहायता प्राप्त करने की अधिकारिणी है, इसके तहत प्रार्थीया को उसका कोटा स्थित मकान नम्बर बॉलीबाल ग्राउण्ड के पास, माचिस फैक्ट्री, डडवाड़ा, कोटा जंक्शन, कोटा (राज०) अप्रार्थीगण से खाली करवाकर दिलवाया जावे तथा उन्हें निर्देशित किया जावे कि वह उक्त परिसर से प्रार्थीया को जबरन बेदखल करने का प्रयास ना करें और यदि प्रार्थीया की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अप्रार्थीगण को ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माना जाकर मुकदमा कायम किया जाना न्यायसंगत है। अतः परिवाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का परिवाद स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के उक्त कोटा स्थित बॉलीबाल ग्राउण्ड के पास, माचिस फैक्ट्री, डडवाड़ा, कोटा जंक्शन, कोटा (राज०) को खाली कर शांति पूर्ण रूप से चले जाये साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित किया जावे कि वह प्रार्थीया को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से तंग व प्रताड़ित ना करें तथा तथा अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रार्थीया के पक्ष में पारित की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण स्वर्गीय श्री

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अब्दुल रऊफ मंसूरी के समय से ही प्रार्थीया व स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी की सहमति से उनके पुत्री व दामाद होने तथा पुत्री का स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी व प्रार्थीया की सम्पत्ति में हिस्सा होने से प्रार्थीया के साथ माचिस फेक्ट्री डडवाड़ा कोटा राजस्थान वाले मकान में प्रथम में निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थीया स्व० श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी की पेंशन भी प्राप्त कर रही है तथा स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी की समस्त चल व अचल संयुक्त सम्पत्ति का भी लाभ प्रार्थीया प्राप्त कर रही है तथा स्वयं की पेंशन भी प्राप्त कर रही है। प्रार्थीया का पुत्र साहिल मंसूरी सन 2015 में जब इंजिनियरींग की पढ़ाई करने जयपुर गया तो जयपुर में वह गलत संगत में पड़ गया जिससे उसे मादक पदार्थों का सेवन करने की आदत हो गयी। स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी व प्रार्थीया ने अप्रार्थी क्रम–1 को घर जवाई रखने के उद्देश्य से प्रार्थीगण को अपने साथ उपर के पोर्शन में निवास करने के लिये रख लिया। अप्रार्थीगण ने स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी का जयपुर में ईलाज करवाया तथा दिनांक 11.04.2019 को मृत्यु होने पर स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी के मौत, मय्यत, सैम, दसवॉ, बीसवॉ, चालीसवॉ, अदि सभी कार्यक्रम अप्रार्थीगण ने स्वयं खर्चा करके किये। प्रार्थीया ने इद्दत में रहते हुये किसी कार्यक्रम पर कोई खर्चा नही किया। उक्त मकान के नल व बिजली के बिल भी अप्रार्थी क्रम–1, अप्रार्थी क्रम–2 के माध्यम से पै– फोन/पै–टीएम के जरिये बिल की राशि सम्बन्धित विभागो में अप्रार्थीगण स्व0 श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी के समय से ही जमा कराते चले आ रहे है। प्रार्थीया की पुत्री व अप्रार्थी क्रम 1 की बहिन निलोफर मंसूरी का विवाह जयपुर में श्री सौहेल अहमद से हुआ है। स्व0 श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी की उक्त विवादित मकान के अतिरिक्त एक दो मंजिला निर्माणाधीन भुखण्ड सांगानेर कोर्ट परिसर के पास जयपुर में तथा एक अन्य भूखण्ड संख्या–डी– 839 जोन–14 जेडीए जयपुर की देव विहार योजना में स्थित है। विवादित मकान सहित उक्त दोनो भूखण्ड भी स्व० श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी की मृत्यु के पश्चात संयुक्त सम्पत्ति है जिनमें अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी क्रम 1 उक्त संयुक्त सम्पतियों के प्रत्येक इंच पर विधिक रूप से व भौतिक रूप से काबिज व स्वामी शेयर होल्डर है तथा अप्रार्थी क्रम–1 ने माननीय जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष उक्त संयुक्त सम्पत्ति का विभाजन कराने व हिस्सा प्राप्त करने हेतु सिविल वाद किया हुआ है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.03.2020 नियत है। अप्रार्थीगण की दो पुत्रीयों बड़ी पुत्री 6 वर्ष व छोटी पुत्री 2 वर्ष का जन्म भी उक्त विवादित मकान में निवास करते हुये ही हुआ है। प्रार्थीया ने झूठे तथ्य बतलाकर दिनांक 22.10.2019 को परिवाद पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर को दिया था। प्रार्थीया स्वयं अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठी कार्यवाहियॉ अप्रार्थी क्रम–1 को उसका हिस्सा संयुक्त सम्पत्ति में से नही देने के उदेश्य से करती रहती है। प्रार्थीया की आयु 63 वर्ष होना मात्र स्वीकार है। शेष पूर्ण रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीया विवादित मकान के ग्राउण्ड फ्लोर में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रही है तथा प्रार्थीया को उस मकान में निवास करने में कोई परेशानी नही हो रही है। प्रार्थीया व प्रतिपक्षीगण के आने जाने के रास्ते/दरवाजे अलग अलग है। परिवादिया के सीनियर सीटिजन होने मात्र से ही प्रार्थीया को परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है तथा परिवादिया सीनियर सीटिजन होने मात्र से ही माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होता है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी क्रम–1 को उक्त स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी की चल व अचल सम्पत्तियो में से हिस्सा नही देने के उद्देश्य मात्र से यह झूठा परिवाद प्रस्तुत किया है जिसका प्रार्थीया को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। प्रार्थीया का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

परिवाद मिसकंसीव्ड तथा झूठे तथ्यो पर आधारित है जो चलने योग्य नही है। कुछ स्वार्थी एवमं अवांछनिये तत्व प्रार्थीया को बहका फुसलाकर उक्त संयुक्त सम्पत्तियो को हड़पने के उद्देश्य से प्रार्थीया से उक्त संयुक्त सम्पत्तियाँ खुर्द –बुर्द कराना चाहते है तथा प्रार्थीया बिना बटवारा किये ही तथा अप्रार्थी क्रम–1 को उसका हिस्सा दिये बिना ही उक्त सम्पत्तियो को खुर्द –बुर्द करने पर आमादा है जिसका प्रार्थीया को कोई अधिकार नही है। प्रार्थीया ने उक्त परिवाद अप्रार्थी क्रम 1 को स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ मंसूरी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति में से उसका हिस्सा नही देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी क्रम–1 ने उक्त संयुक्त सम्पत्ति का बटवारा कराकर अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु बटवारे का वाद प्रार्थीया के विरूद्ध माननीय जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष जैरकार है। अतः जवाब परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का परिवाद पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी करने, शारीरिक एवं मानसिक यातनाएँ देने एवं मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीया के पति स्वर्गीय श्री अब्दुल रउफ मंसूरी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति में से उसका हिस्सा नही देने के उददेश्य से प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी कम 1 ने उक्त संयुक्त सम्पत्ति का बंटवारा कराकर अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु बंटवारे का वाद प्रार्थीया के विरूद्ध माननीय जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया है जो जैरकार है। अप्रार्थीगण के उक्त कथन का प्रार्थीया की ओर से कोई जवाब नही दिया है। पत्रावली में संलग्न फर्द दस्तावेज बयनामा मकान की रजिस्ट्री की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य दर्शित होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान प्रार्थीया के पति एवं अप्रार्थी नं0 1 की पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है अर्थात उपरोक्त मकान प्रार्थीया की स्वअर्जित सम्पत्ति नही है। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से उक्त मकान में हक अधिकार की घोषणा हेतु वाद माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। जिस कारण से उपरोक्त प्रकरण सम्पत्ति के बंटवारे एवं विवाद से सम्बंधित होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्त विवादित मकान में अप्रार्थीगण के हक अधिकार माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा में जैरकार वाद के निस्तारण के पश्चात ही तय होगें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा